

**OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI**  
**OLD ST. STEPHEN'S COLLEGE BUILDING,**  
**KASHMERE GATE, DELHI-110006**

F.CEO/COE/102(75)/2018/ 29844-82

Dated: 18/10/18

To,

The District Election Officer (North West), Office of the DC(NW), Kanjhawala, Delhi.	The District Election Officer (South), Office of the Dy. Commissioner, BDO Office, MB Road, Saket, New Delhi
The District Election Officer (North East), DSIIIC Complex, Nand Nagri, Delhi	The District Election Officer (Central), Old Employment Exchange Building, 14, Darya Ganj, New Delhi-110002
The District Election Officer (South West), Old Terminal Tax Building, Kapashera, Delhi-110037	The District Election Officer (East), I&F Department Complex, A Block, LM Bandh, Shastri Nagar, Delhi
The District Election Officer (West), Plot No. 3, Shivaji Place, Near West Gate Mall, Raja Garden, New Delhi-110027.	The District Election Officer (New Delhi), 12/1, Jam Nagar House, Shahjahan Road, New Delhi
The District Election Officer (North), Office of the District Magistrate (North), Near Shardhanand College, GT Karnal Road, Alipur, New Delhi-110010	The District Election Officer (Shahdara), O/o The DEO/DC (Shahdara), DSIIIC Complex, Nand Nagri, Delhi
The District Election Officer (South East), O/o The DEO/DM(South East), Old Gargi College, Lajpat Nagar-IV, New Delhi-110024	

**Sub: Supreme Court's Judgment on the petition regarding people with criminal antecedents contesting elections;(ii) Amendments in Form-26 (Format of affidavit by candidates)**

Madam/Sir,

I am directed to forward herewith a copy of ECI letter No. 3/4/2017/DR/Vol.II dated 10<sup>th</sup> October, 2018 alongwith its enclosures received from Sh. K.F. Wilfred, Sr. Principal Secretary, ECI on the subject cited above wherein it is stated that the candidates at all elections are required to file affidavit in Form-26, along with Nomination paper, declaring information about criminal cases, assets, liabilities and educational qualifications.

A copy of Form-26 amended vide Ministry of Law & Justice Notification No. H11019(4)/2018-Leg.II, dated 10<sup>th</sup> October, 2018 is also enclosed . The amendments made in Form-26 are in pursuance of the directions in the judgements of the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition © No. 784 of 2015 (Lok Prahari Vs. Union of India & others) and Writ Petition (Civil) No. 536 of 2011 (public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr. ). The candidates are now required to file the affidavit in the amended Form-26.

It is requested that the above directions of ECI may be brought to the knowledge of all the Returning Officers falling under your district for taking further necessary action.

Encl: As above

Yours faithfully,

(CHARANJIT SINGH)  
Election Officer (COE)

Copy to:

1. Sh. K.F. Wilfred, Sr. Principal Secretary , ECI, Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi w.r.t. above referred letter.
2. PA to CEO/PA to Addl. CEO/PA to Dy. CEO.
3. SDMs (Election) of all the 11 Districts in NCT of Delhi with the request to circulate the ECI directions among all the ROs of 7 Parliamentary Constituencies and 70 ACs in NCT of Delhi .
4. All Election Officers at CEO office.
5. EO(P&I) for taking necessary action.
6. SSA, IT with the request to upload the above said under the Head "Important ECI instructions" on the official website of CEO, Delhi.

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**  
**Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001**

No. 3/4/2017/SDR/Vol.II

Dated: 10<sup>th</sup> October, 2018

To,

The Chief Electoral Officers of  
All States and Union Territories.

**Sub:- (i) Supreme Court's Judgment on the petition regarding people with criminal antecedents contesting elections;**

**(ii) Amendments in Form-26 (Format of affidavit by candidates).**

Sir/Madam,

The candidates at all elections are required to file affidavit in Form-26, along with nomination paper, declaring information about criminal cases, assets, liabilities and educational qualifications. Form-26 has now been amended vide Ministry of Law & Justice Notification No. H.11019(4)/2018-Leg.II, dated 10<sup>th</sup> October, 2018. The amendments made in Form-26 are in pursuance of the directions in the judgements of the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition(C) No. 784 of 2015 (Lok Prahari Vs. Union of India & Others) and Writ Petition (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.). A copy of the said notification along with a copy of the updated Form-26 is enclosed herewith. The candidates are now required to file the affidavit in the amended Form-26.

2. In the judgement in Writ Petition (Civil) No. 536 of 2011, the Hon'ble Supreme Court has, inter alia, given the following directions:-

- " (i) Each contesting candidate shall fill up the form as provided by the Election Commission and the form must contain all the particulars as required therein.
- (ii) It shall state, in bold letters, with regard to the criminal cases pending against the candidate.
- (iii) If a candidate is contesting an election on the ticket of a particular party, he/she is required to inform the party about the criminal cases pending against him/her.

- (iv) The concerned political party shall be obligated to put up on its website the aforesaid information pertaining to candidates having criminal antecedents.
- (v) The candidate as well as the concerned political party shall issue a declaration in the widely circulated newspapers in the locality about the antecedents of the candidate and also give wide publicity in the electronic media. When we say wide publicity, we mean that the same shall be done at least thrice after filing of the nomination papers.”

3. In pursuance of the abovementioned judgement, the Commission, after due consideration, has given the following directions to be followed by candidates at elections to the Houses of Parliament and Houses of State Legislatures who have criminal cases against them, either pending cases or cases of conviction in the past, and to the political parties that set up such candidates :-

(a) Candidates at elections to the House of the People, Council of States, Legislative Assembly or Legislative Council who have criminal cases against them – either pending cases or cases in which candidate has been convicted, shall publish a declaration about such cases, for wide publicity, in newspapers with wide circulation in the constituency area. This declaration is to be published in **Format C-1** attached hereto, at least on three different dates from the day following the last date for withdrawal of candidatures and upto two days before the date of poll. The matter should be published in font size of at least 12 and should be placed suitably in the newspapers so that the directions for wide publicity are complied with in letter and spirit.

*(Illustration: If the last date for withdrawal is 10<sup>th</sup> of the Month and poll is on 24<sup>th</sup> of the Month, the publishing of declaration shall be done between 11<sup>th</sup> and 22<sup>nd</sup> of that Month).*

(b) All such candidates with criminal cases are also required to publish the above declaration on TV channels on three different dates during the abovementioned period. But, in the case of the declaration in TV Channels, the same should be completed before the period of 48 hours ending with the hour fixed for conclusion of poll.

(c) In the case of all candidates who have criminal cases as per the declarations in Items 5 and 6 of Form-26, the Returning Officer shall give a written reminder about the directions herein for publishing declaration about the criminal cases in newspapers and TV channels for wide publicity. A standard format for such reminder to the candidates is annexed as **Format C-3**. The candidates shall submit the copies of newspapers in which their declaration in this regard was published to the District Election Officer, along with their account of election expenses.

(c) In the case of candidates with criminal cases set up by political parties, whether recognized parties or registered un-recognized parties, such candidates are required to declare before the Returning Officer concerned that they have informed their political party about the criminal cases against them. Provision for such declaration has been made in Form-26 in the newly inserted Item (6A).

4. The Political Parties – recognized parties and registered un-recognised parties, which set up candidates with criminal cases, either pending cases or cases of past conviction, are required to publish declaration giving details in this regard on their website as well as in TV channels and newspapers having wide circulation in the State concerned. This declaration by political parties is to be published in **Format C-2**, annexed hereto. Publishing of the declaration in newspapers and TV channels is required to be done atleast on three different dates during the period mentioned in Para-2(a) above. In the case of TV channels, it shall be ensured that the publishing should be completed before the period of 48 hours ending with the hour fixed for conclusion of poll for the election. All such political parties shall submit a report to the Chief Electoral Officer of the State concerned stating that they have fulfilled the requirements of these directions, and enclosing therewith the paper cuttings containing the declarations published by the party in respect of the State/UT concerned. This shall be done within 30 days of completion of

election. Thereafter, within the next 15 days, the Chief Electoral Officer should submit a report to the Commission confirming compliance by the parties concerned, and pointing out cases of defaulters, if any.

5. It may also be noted that the provisions for the additional affidavit in respect of dues against Govt. accommodation, if any, that may have been allotted to the candidates, have now been incorporated in Form-26 itself under Item (8) relating to liabilities to Public Financial Institutions and Govt. Therefore, the candidates shall give the requisite declaration/particulars in this regard in Item (8) of Form-26. Accordingly, the candidates are now not required to file the additional affidavit prescribed under the Commission's Order No. 509/11/2004-JS-I, dated 3<sup>rd</sup> February, 2016, as the provisions are now part of Form-26 itself.

6. This letter may be circulated to all DEOs, ROs in the State/Union Territory for necessary action on their part. This shall also be circulated to all the political parties based in the State, i.e. the State Units of the recognized Parties and recognized State parties of other States and all registered un-recognized political parties with headquarters based in your State/Union Territory, with instructions to take note of the above directions and the amendments in Form-26.

7. Please acknowledge receipt and confirm action taken.

Yours faithfully,



(K.F. WILFRED)  
Sr. PRINCIPAL SECRETARY

**Format C-1**

( for candidate to publish in Newspapers, TV)

**Declaration about criminal cases**

*(As per the judgment dated 25<sup>th</sup> September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)*

Name and address of candidate: \_\_\_\_\_

Name of political party: \_\_\_\_\_

*(Independent candidates should write "Independent" here)*

Name of Election : \_\_\_\_\_

\*Name of Constituency: \_\_\_\_\_

I \_\_\_\_\_ (name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

Sl. No.	Pending criminal cases			Details about cases of conviction for criminal offences		
	Name of Court	Case No. and status of case	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	

\*In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

*Note: (i) Details should be given separately for each case in separate rows.*

*(ii) The matter in newspapers should be in font size of atleast 12.*

**Format C-2**

*(For political party to publish in website, newspapers, TV)*

**Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party**

*(As per the judgment dated 25<sup>th</sup> September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)*

Name of Political Party: \_\_\_\_\_

\* Name of Election : \_\_\_\_\_

Name of State/ UT : \_\_\_\_\_

1.	2	3	4		5.	
Sl. No.	Name of candidate	Name of constituency	Pending criminal cases		Details about cases of conviction for criminal offences	
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed

\*In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

*Note:- (i) The above information shall be published State wise for each State/UT.*

*(ii) The matter in newspapers should be published in font size of at least 12.*

**Office of Returning Officer**

Name of Constituency : \_\_\_\_\_

Name of State : \_\_\_\_\_

Name of Election : \_\_\_\_\_

It is informed that as per the judgment dated 25<sup>th</sup> September, 2018, of Hon'ble Supreme Court, in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr., and the directions in the Commission's letter No. 3/ER/2018/SDR , dated 10-10-2018, all candidates with criminal cases – either pending cases or cases of conviction in the past, are required to publish declaration regarding such criminal cases in newspapers and TV channels on three occasions during the period from the day following the last date for withdrawal of candidature and two days before the date of poll. Publishing declaration in TV channels should be completed before the period of 48 hours ending with the hour fixed for conclusion of poll.

Since you, Sh/Smt./Ms. \_\_\_\_\_ (mention the name of the candidate), a candidate nominated for the abovementioned election, have declared information about criminal cases in Items 5/6 of Form-26, you are required to publish information in newspapers having wide circulation in the constituency area and on TV channels on atleast three occasions each as mentioned above. The Format for publishing the information is enclosed herewith. It is also informed that copies of the newspapers publishing the information about criminal cases should be submitted to the District Election Officer along with the account of election expenses under Section 78 of Representation of the People Act, 1951.

Date: \_\_\_\_\_ Signature \_\_\_\_\_

Name of the RO/ARO \_\_\_\_\_

Signature of Candidate \_\_\_\_\_

*Note: One copy of this should be given to candidate and one copy retained with RO.*

No.H-11019/04/2018-Leg.II  
Government of India  
Ministry of Law and Justice  
Legislative Department  
\*\*\*\*

**BY Special Messenger**

New Delhi, the 10<sup>th</sup> October, 2018

To

The Manager  
Government of India Press,  
Mayapuri  
Ring Road, New Delhi

Subject: Publication of Notification in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, Sub-section (ii) dated 10/10/2018.


Sir,

I am directed to forward herewith a notification bearing No.H-11019/04/2018-Leg.II dated 10/10/2018 (in English and Hindi) to be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) on 10/10.2018.

2. Soft copy of the notification has been e-mailed at may-giprr@nic.in and it is certified that the soft copy and the hard copy of the notification is one and the same.
3. It is requested that 10 copies of the aforesaid notification may please be sent to this Department as soon as the same is published.

Encl: As above

Yours faithfully,

  
(R. Sreenivas)  
Additional Legislative Council  
Tele: 23384603

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY,  
PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE  
(Legislative Department)

New Delhi, the ..... October, 2018.

S.O. -----(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 77 read with section 169 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Elections Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Conduct of Elections Rules, 1961 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 90, after serial number 28 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

1.	2.	3.	4.
“29.	Telangana	70,00,000	28,00,000.”

3. In Form 26 of the principal rules.—

(A) in PART A—

(I) for paragraphs (5) and (6), the following paragraphs shall be substituted, namely:—

“(5) Pending criminal cases.—

(i) I declare that there is no pending criminal case against me.  
*(Tick this alternative, if there is no criminal case pending against the Candidate and write NOT APPLICABLE against alternative (ii) below)*

OR

*h*

(ii) The following criminal cases are pending against me:

*(If there are pending criminal cases against the candidate, then tick this alternative and score off alternative (i) above, and give details of all pending cases in the Table below)*

Table

(a)	FIR No. with name and address of Police Station concerned			
(b)	Case No. with Name of the Court			
(c)	Sections of concerned Acts/Codes involved <i>(give no. of the section, e.g. Section .....of IPC, etc.)</i>			
(d)	Brief description of offence			
(e)	Whether charges have been framed <i>(mention YES or NO)</i>			
(f)	If answer against item (e) above is YES, then give the date on which charges were framed			
(g)	Whether any Appeal/ Application for revision has been filed against the proceedings <i>(Mention YES or NO)</i>			

(6) Cases of conviction.—

(i) I declare that I have not been convicted for any criminal offence.  
*(Tick this alternative, if the candidate has not been convicted and write NOT APPLICABLE against alternative (ii) below)*

OR

(ii) I have been convicted for the offences mentioned below:

*(If the candidate has been convicted, then tick this alternative and score off alternative (i) above, and give details in the Table given below)*

1  
w

Table

(a)	Case No.			
(b)	Name of the Court			
(c)	Sections of Acts/Codes involved (give no. of the Section, e.g. Section .....of IPC, etc..			
(d)	Brief description of offence for which convicted			
(e)	Dates of orders of conviction			
(f)	Punishment imposed			
(g)	Whether any Appeal has been filed against conviction order (Mention YES or No)			
(h)	If answer to item (g) above is YES, give details and present status of appeal			

(6A) I have given full and up-to-date information to my political party about all pending criminal cases against me and about all cases of conviction as given in paragraphs (5) and (6).

*[candidates to whom this item is not applicable should clearly write NOT APPLICABLE IN VIEW OF ENTRIES IN PARAGRAPHS 5(i) and 6(i) above.]*

**Note:**

1. Details should be entered clearly and legibly in BOLD letters
2. Details to be given separately for each case under different columns against each item.
3. Details should be given in reverse chronological order, i.e., the latest case to be mentioned first and backwards in the order of dates for the other cases.
4. Additional sheet may be added if required.
5. Candidate is responsible for supplying all information in compliance of the Hon'ble Supreme Court's judgment in W.P (C) No. 536 of 2011.;

*W*

(II) in paragraph (7), under the heading A. "Details of movable assets" for "Note 4", the following Note shall be substituted, namely:-

**'Note 4:** "Dependent" means parents, son(s), daughter(s) of the candidate or spouse and any other person related to the candidate whether by blood or marriage, who have no separate means of income and who are dependent on the candidate for their livelihood.;

(III) in paragraph (8), in the Table, for serial numbers (ii) to (iv) and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall respectively be substituted, namely:-

"Table

(ii)	Government dues: Dues to Departments dealing with Government accommodation	<p>(A) Has the Deponent been in occupation of accommodation provided by the Government at any time during the last ten years before the date of notification of the current election?</p> <p>(B) If answer to (A) above is YES, the following declaration may be furnished, namely:-</p> <p style="margin-left: 20px;">(i) The address of the Government accommodation: ----- ----- -----</p> <p style="margin-left: 20px;">(ii) There is no dues payable in respect of above Government accommodation, towards-</p> <p style="margin-left: 20px;">(a) rent; (b) electricity charges; (c) water charges; and (d) telephone charges as on ----- (date)</p> <p style="margin-left: 20px;">[the date should be the last date of the third month prior to the month in which the election is notified or any date thereafter].</p> <p>Note- "No Dues Certificate" from the agencies concerned in respect of rent, electricity charges, water charges and telephone charges for the above Government accommodation should be submitted.</p>
------	---	--

*h*

(iii)	Dues to Department dealing with Government transport (including aircrafts and helicopters)					
(iv)	Income tax dues					
		Self	Spouse	Dependent -1	Dependent -2	Dependent -3
(v)	GST Dues					
(vi)	Municipal / Property tax dues					
(vii)	Any other dues					
(viii)	Grand total of all Government dues					
(ix)	Whether any other liabilities are in dispute, if so, mention the amount involved and the authority before which it is pending.”;					


(IV) after paragraph (9), the following paragraphs shall be inserted, namely:–

“(9A) Details of sources of income:

- (a) Self -----
- (b) Spouse -----
- (c) Source of income, if any, of dependents, -----

(9B) Contracts with appropriate Government and any public company or companies–

- (a) details of contracts entered by the candidate -----
- (b) details of contracts entered into by spouse -----
- (c) details of contracts entered into by dependents -----
- (d) details of contracts entered into by Hindu undivided family or trust in which the candidate or spouse or dependents have interest -----  
-----

- 
- (e) details of contracts, entered into by Partnership Firms in which candidate or spouse or dependents are partners -----  
-----
- (f) details of contracts entered into by private companies in which candidate or spouse or dependants have share -----  
-----";

(B) in PART – B, in paragraph 11 against serial number 5 and 6, for the entries under column 2, the following entries shall be substituted, namely:-

5.	Total number of pending criminal cases	
6.	Total number of cases in which convicted.	

[F.No. H.11019(4)/2018-Leg.II]



(Dr. Reeta Vasishta)

Additional Secretary to the Government of India

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 859, dated the 15<sup>th</sup> April, 1961 and were last amended vide number S.O. 1133(E), dated the 7<sup>th</sup> April, 2017.

FORM 26  
(See rule 4A)

Please affix your recent passport size photograph here

**AFFIDAVIT TO BE FILED BY THE CANDIDATE ALONGWITH NOMINATION PAPER BEFORE THE RETURNING OFFICER FOR ELECTION TO ..... (NAME OF THE HOUSE) FROM.....CONSTITUENCY (NAME OF THE CONSTITUENCY)**

PART-A

I.....\*\*son/daughter/wife of  
..... Aged.....years, resident of  
.....  
..... (mention full postal address), a candidate at the above election, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

(1) I am a candidate set up by .....  
(\*\*name of the political party)\*\*am contesting as an Independent candidate.  
(\*\*strike out whichever is not applicable)

(2) My name is enrolled in..... (Name of the constituency and the State), at Serial No.....in Part No.....

(3) My contact telephone number(s) is/are.....  
and my email id (if any) is .....  
and my social media account(s) (if any) is/are  
(i).....  
(ii).....  
(iii).....

(4) Details of Permanent Account Number (PAN) and status of filing of Income Tax return:

Sl. No.	Names	PAN	The financial year for which the last Income-tax return has been filed	Total income shown in Income-tax return (in Rupees)
1.	Self			
2.	Spouse			
3.	Dependent-1			
4.	Dependent-2			
5.	Dependent-3.....			

(5) Pending criminal cases

(i) I declare that there is no pending criminal case against me.  
*(Tick this alternative if there is no criminal case pending against the Candidate and write NOT APPLICABLE against alternative (ii) below)*

OR

(ii) The following criminal cases are pending against me:  
*(If there are pending criminal cases against the candidate, then tick this alternative and score off alternative (i) above, and give details of all pending cases in the Table below)*

Table

(a)	<b>FIR No. With name and address of Police Station concerned</b>			
(b)	<b>Case No. with Name of the Court</b>			

(c)	<b>Section(s) of concerned Acts/Codes involved</b> <i>(give no. of the Section , e.g. Section .....of IPC, etc.).</i>			
(d)	<b>Brief description of offence</b>			
(e)	<b>Whether charges have been framed</b> <i>(mention YES or NO)</i>			
(f)	<b>If answer against (e) above is YES, then give the date on which charges were framed</b>			
(g)	<b>Whether any Appeal/ Application for revision has been filed against the proceedings</b> <i>(Mention YES or NO)</i>			

**(6) Cases of conviction**

**(i) I declare that I have not been convicted for any criminal offence.**  
*(Tick this alternative, if the candidate has not been convicted and write NOT APPLICABLE against alternative (ii) below)*

**OR**

**(ii) I have been convicted for the offences mentioned below:**  
*(If the candidate has been convicted, then tick this alternative and score off alternative (i) above, and give details in the Table below)*

**Table**

<b>(a)</b>	<b>Case No.</b>			
<b>(b)</b>	<b>Name of the Court</b>			
<b>(c)</b>	<b>Sections of Acts/Codes involved</b> <i>(give no. of the Section, e.g. Section .....of IPC, etc.).</i>			
<b>(d)</b>	<b>Brief description of offence for which convicted</b>			
<b>(e)</b>	<b>Dates of orders of conviction</b>			
<b>(f)</b>	<b>Punishment imposed</b>			
<b>(g)</b>	<b>Whether any Appeal has been filed against conviction order</b> <i>(Mention YES or No)</i>			

<b>(h)</b>	<b>If answer to (g) above is YES, give details and present status of appeal</b>			
------------	---	--	--	--

**(6A) I have given full and up-to-date information to my political party about all pending criminal cases against me and about all cases of conviction as given in paragraphs (5) and (6).**

*[candidates to whom this Item is not applicable should clearly write NOT APPLICABLE IN VIEW OF ENTRIES IN 5(i) and 6 (i), above ]*

**Note:**

- 1. Details should be entered clearly and legibly in BOLD letters**
- 2. Details to be given separately for each case under different columns against each item.**
- 3. Details should be given in reverse chronological order, i.e., the latest case to be mentioned first and backwards in the order of dates for the other cases.**
- 4. Additional sheet may be added if required.**
- 5. Candidate is responsible for supplying all information in compliance of Hon'ble Supreme Court's judgment in W.P (C) No. 536 of 2011.**

**(7) That I give herein below the details of the assets (movable and immovable etc.) of myself, my spouse and all dependents:**

**A. Details of movable assets:**

- Note: 1. Assets in joint name indicating the extent of joint ownership will also have to be given.
- Note: 2. In case of deposit/Investment, the details including Serial Number, Amount, date of deposit, the scheme, Name of the Bank/Institution and Branch are to be given
- Note: 3. Value of Bonds/Share Debentures as per current market value in Stock exchange in respect of listed companies and as per books in case of non-listed companies should be given.
- Note: 4. 'Dependent' means parents, son(s), daughter(s) of the candidate or spouse and any other person related to the candidate whether by blood or marriage, who have no separate means of income and who are dependent on the candidate for their livelihood.
- Note: 5. Details including amount is to be given separately in respect of each investment

Sl.No.	Description	Self	Spouse	Dependent-1	Dependent-2	Dependent-3
(i)	Cash in hand					
(ii)	Details of deposit in Bank accounts (FDRs, Term Deposits and all other types of deposits including saving accounts), Deposits					

	with Financial Institutions, Non-Banking Financial Companies and Cooperative societies and the amount in each such deposit.					
(iii)	Details of investment in Bonds, debentures/shares and units in companies/Mutual funds and others and the amount.					
(iv)	Details of investment in NSS, Postal Saving, Insurance policies and investment in any Financial instruments in Post office or Insurance Company and the amount.					
(v)	Personal loans/advance given to any person or entity including firm, company, Trust etc., and other receivables from debtors and the amount.					
(vi)	Motor Vehicles/Aircrafts/Yachts/Ships (Details of Make, registration number etc. year of purchase and amount)					
(vii)	Jewellery, bullion and valuable thing(s) (give details of weight and value)					
(viii)	Any other assets such as value of claims/interest					
(ix)	Gross Total Value					

**B. Details of Immovable Assets:**

Note: 1. Properties in joint ownership indicating the extent of joint ownership will also have to be indicated.

Note: 2. Each land or building or apartment should be mentioned separately in this format

S. No.	Description	Self	Spouse	Dependent-1	Dependent-2	Dependent-3
(i)	Agricultural Land Location(s) Survey number(s)					
	Area (total measurement in acres)					
	Whether inherited property (Yes or No)					
	Date of purchase in case of self-acquired property					
	Cost of Land (in case of purchase) at the time of purchase					
	Any investment on the land by way of development, construction etc.					
	Approximate current market value					
(ii)	Non-Agricultural Land: Location(s) Survey number(s)					
	Area (total measurement in sq.ft.)					
	Whether inherited property (Yes or No)					
	Date of purchase in case of self-acquired property					
	Cost of Land (in case of purchase) at the time of purchase					
	Any investment on the land by way of development, construction etc.					
	Approximate current market value					
(iii)	Commercial Buildings (including apartments) -Location(s) -Survey number(s)					
	Area (total					

	measurement in sq.ft.)					
	Built-up Area (total measurement in sq.ft.)					
	Whether inherited property (Yes or No)					
	Date of purchase in case of self-acquired property					
	Cost of property (in case of purchase) at the time of purchase					
	Any investment on the property by way of development, construction etc.					
	Approximate current market value					
(iv)	Residential Buildings (including apartments): -Location(s) -Survey number(s)					
	Area (total measurement in sq.ft.)					
	Built up area (Total measurement in sq.ft.)					
	Whether inherited property (Yes or No)					
	Date of purchase in case of self-acquired property					
	Cost of property (in case of purchase) at the time of purchase					
	Any investment on the land by way of development, construction etc.					
	Approximate current market value					
(v)	Others (such as interest in property)					
(vi)	Total of current market value of (i) to (v) above					

(8) I give herein below the details of liabilities/dues to public financial institutions and government:-

(Note: please give separate details of name of bank, institution, entity or individual and amount before each item)

S. No.	Description	Self	Spouse	Dependent-1	Dependent-2	Dependent-3
(i)	Loan or dues to Bank/financial institution(s) Name of the Bank or financial Institution, Amount outstanding, Nature of Loan					
	Loan or dues to any other individuals/entity other than mentioned above Name(s), Amount outstanding, nature of loan					
	Any other liability					
	Grand total of liabilities					
(ii)	Government dues: Dues to Departments dealing with Government accommodation	<p><b>(A) Has the Deponent been in occupation of accommodation provided by the Government at any time during the last ten years before the date of notification of the current election?</b></p> <p><b>(B) If answer to (A) above is YES, the following declaration may be furnished namely: -</b></p> <p><b>(i) The address of the Government accommodation:</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><b>(ii) There is no dues payable in respect of above Government accommodation, towards-</b></p> <p><b>(a) rent;</b></p> <p><b>(b) electricity charges;</b></p> <p><b>(c) water charges; and</b></p> <p><b>(d) telephone charges as on _____</b></p> <p><b>(date)</b></p> <p><b>[ the date should be the last date of the third month prior to the month in which the election is notified or any date thereafter].</b></p> <p><b>Note -- ‘No Dues Certificate’ from the agencies concerned in respect of rent, electricity charges, water charges and telephone charges for the above Government accommodation should be submitted.</b></p>				YES/NO (Pl. tick the appropriate alternative)

(iii)	Dues to department dealing with Government transport (including aircrafts and helicopters)					
(iv)	Income tax dues					
		Self	Spouse	Dependent-1	Dependent-2	Dependent-3
(v)	GST Dues					
(vi)	Municipal/Property tax dues					
(vii)	Any other dues					
(viii)	Grand total of all Government dues					
(ix)	Whether any other liabilities are in dispute, if so, mention the amount involved and the authority before which it is pending.					

(9) Details of profession or occupation:

(a) Self.....

(b) Spouse.....

(9A) Details of sources of income:

(a) Self.....

(b) Spouse.....

(c) Source of income, if any, of dependents, .....

**(9B) Contracts with appropriate Government and any public company or companies**

(a) details of contracts entered by the candidate .....

(b) details of contracts entered into by spouse.....

(c) details of contracts entered into by dependents.....

(d) details of contracts entered into by Hindu Undivided Family or trust in which the candidate or spouse or dependents have interest....

(e) details of contracts, entered into by Partnership Firms in which candidate or spouse or dependents are partners.....

(f) Details of contracts entered into by private companies in which candidate or spouse or dependents have share.....

(10) My educational qualification is as under:-

.....  
(Give details of highest School/University education mentioning the full form of the certificate/diploma/degree course, name of the School/College/University and the year in which the course was completed.)

PART-B

(11) ABSTRACT OF THE DETAILS GIVEN IN (1) TO (10) OF PART-A:

1.	Name of the candidate	Sh./Smt./Kum.				
2.	Full postal address					
3.	Number and name of the constituency and State					
4.	Name of the political party which set up the candidate (otherwise write 'Independent')					
5.	Total number of pending criminal cases					
6.	Total number of cases in which convicted					
7.		PAN of	Year for which last income Tax return filed	Total income shown		
	(a) Candidate					
	(b) Spouse					
	(c) Dependents					
8.	Details of Assets and Liabilities in Rupees					
	Description	Self	Spouse	Dependent-I	Dependent-II	Dependent-III
A.	Moveable Assets (Total value)					
B.	Immovable Assets					
	I.	Purchase Price of self-acquired immovable property				
	II.	Development/ construction cost of immovable property after purchase (if applicable)				
	III.	Approximate Current market price— (a) self-acquired assets (Total Value) (b) inherited assets (Total Value)				
9.	Liabilities					

	(i)	Government dues (Total)					
	(ii)	Loans from Bank, Financial Institutions and others (Total)					
10.		Liabilities that are under dispute					
	(i)	Government dues (Total)					
	(ii)	Loans from Bank, Financial Institutions and others (Total)					
11.		<p>Highest educational qualification:</p> <p>(Give details of highest School/University education mentioning the full form of the certificate/diploma/degree course, name of the School/College/University and the year in which the course was completed.)</p>					

### VERIFICATION

I, the deponent, above named, do hereby verify and declare that the contents of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed there from. I further declare that:-

- (a) there is no case of conviction or pending case against me other than those mentioned in items 5 and 6 of Part A and B above;
- (b) I, my spouse, or my dependents do not have any asset or liability, other than those mentioned in items 7 and 8 of Part A and items 8, 9 and 10 of Part B above.

Verified at.....this the .....day of.....

**DEPONENT**

---

- Note: 1. Affidavit should be filed latest by 3.00 PM on the last day of filing nominations.
- Note: 2. Affidavit should be sworn before an Oath Commissioner or Magistrate of the First Class or before a Notary Public.
- Note: 3. All column should be filled up and no column to be left blank. If there is no information to furnish in respect of any item, either “Nil” or “Not applicable, as the case may be, should be mentioned.
- Note: 4. The Affidavit should be either typed or written legibly and neatly.

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 3/4/2017/एसडीआर/खंड II

दिनांक: 10 अक्टूबर, 2018

सेवा में

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

- विषय:** (i) आपराधिक पूर्ववृत्त वाले व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन लड़ने से सम्बन्धित याचिका पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय ;  
(ii) प्ररूप-26 में संशोधन (अभ्यर्थियों द्वारा दिए जाने वाले शपथ पत्र का फार्मेट)

महोदय/महोदया

सभी अभ्यर्थियों को सभी निर्वाचनों में नाम निर्देशन पत्रों के साथ-साथ प्ररूप-26 में शपथ पत्र देना अपेक्षित होता है जिसमें आपराधिक मामलों, परिसंपत्तियों, देयताओं और शैक्षणिक अर्हताओं की घोषणा की जाती है। प्ररूप-26 को अब विधि एवं न्याय मंत्रालय की दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या एच-11019(4)/2018-विधायी-11 के तहत संशोधित कर दिया गया है। प्ररूप-26 में किए गए संशोधन वर्ष 2015 की रिट याचिका (सि) संख्या 784 (लोक प्रहरी बनाम भारत संघ एवम् अन्य) और वर्ष 2011 की रिट याचिका (सि) संख्या 536 (पब्लिक इंटरैस्ट फाउंडेशन एवम् अन्य बनाम भारत संघ एवम् अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसरण में हैं। प्ररूप-26 की अद्यतनीकृत प्रति के साथ उपर्युक्त अधिसूचना की एक प्रति इसके साथ संलग्न है। अभ्यर्थियों को अब संशोधित प्ररूप-26 में शपथ पत्र देना अपेक्षित है।

2. वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 536 के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित निदेश दिए हैं:-

- “(i) निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन आयोग द्वारा यथा-उपबंधित प्ररूप भरेगा और इस प्ररूप में दिया गया यथापेक्षित सारा ब्योरा अवश्य दिया जाना चाहिए।  
(ii) अभ्यर्थी के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में सूचना का ब्योरा बड़े अक्षरों में दिया जाएगा।

- (iii) यदि कोई अभ्यर्थी किसी दल विशेष के टिकट पर निर्वाचन लड़ रहा/रही है, तो उसे अपने विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों के बारे में दल को सूचना देना अपेक्षित है।
- (iv) सम्बन्धित राजनैतिक दल, आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उपर्युक्त सूचना को अपनी वेबसाइट पर डालने हेतु बाध्य होगा।
- (v) अभ्यर्थी और सम्बन्धित राजनैतिक दल अभ्यर्थी के आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में अपने इलाके में व्यापक रूप से वितरित किए जाने वाले समाचार पत्रों में एक घोषणा जारी करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक प्रचार-प्रसार भी करेंगे। व्यापक रूप से प्रचारित किए जाने से हमारा तात्पर्य यह है कि नाम निर्देशन पत्र भरने के उपरांत इसे कम-से-कम तीन बार किया जाएगा।”

3. उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में, आयोग ने सम्यक विचार विमर्श करने के उपरान्त, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधान मंडलों के निर्वाचनों में उन अभ्यर्थियों, जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले या तो लम्बित हैं या पूर्व में दोषसिद्धि के मामले हैं, के द्वारा तथा उन राजनैतिक दलों, जो ऐसे अभ्यर्थी खड़े करते हैं, के द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए निम्नलिखित निदेश दिए हैं:-

(क) लोकसभा, राज्य सभा, विधान सभा या विधान परिषद के निर्वाचन में ऐसे अभ्यर्थी, जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले या तो लम्बित हैं या ऐसे मामले जिनमें दोषसिद्धि हो गई है, ऐसे मामलों के बारे में निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक वितरण वाले समाचार पत्रों में एक घोषणा व्यापक रूप से प्रकाशित करेंगे। यह घोषणा एतद्वारा संलग्न फार्मेट सी-1 में अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख से लेकर मतदान होने की तारीख से दो दिन पहले तक कम से कम तीन अलग-अलग तारीखों में प्रकाशित की जानी है। यह सामग्री कम से कम 12 के फॉन्ट आकार में और समाचार-पत्रों में उचित स्थान पर प्रकाशित की जानी चाहिए ताकि व्यापक रूप से प्रचारित किए जाने सम्बन्धी निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(उदाहरण: यदि अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख किसी महीने की 10 तारीख है और मतदान की तारीख उस महीने की 24 तारीख है तो घोषणा उस महीने की 11 तारीख और 22 तारीख के बीच की जाएगी।)

(ख) आपराधिक मामलों वाले ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए यह भी अपेक्षित होगा कि वे उपर्युक्त अवधि के दौरान तीन अलग-अलग तारीखों को टीवी चैनलों पर भी उपर्युक्त घोषणा प्रकाशित करेंगे। किन्तु, टीवी चैनलों पर घोषणा के मामले में इसे मतदान सम्पन्न होने के लिए निर्धारित समय समाप्त होने से 48 घंटे पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए।

(ग) प्ररूप-26 की मद 5 और 6 में घोषणाओं के अनुसार आपराधिक मामलों वाले सभी अभ्यर्थियों के मामले में, रिटर्निंग अधिकारी, समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में व्यापक प्रचार के लिए आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा प्रकाशित दिए जाने वाले करने के लिए इन दिशानिर्देशों के बारे में एक लिखित अनुस्मारक देंगे। अभ्यर्थियों को दिए जाने वाले ऐसे अनुस्मारक के लिए एक मानक फॉर्मेट, **फॉर्मेट सी-3** के रूप में संलग्न है। अभ्यर्थी, जिला निर्वाचन अधिकारी को अपने निर्वाचन व्यय लेखा के साथ उन समाचार पत्रों की प्रतियां जमा करेंगे जिनमें इस संबंध में उनकी घोषणा प्रकाशित की गई थी।

(घ) राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए आपराधिक मामलों वाले अभ्यर्थियों के मामले में, चाहे मान्यता प्राप्त दल या पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दल हों, ऐसे अभ्यर्थियों को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष यह घोषित करना होगा कि उन्होंने अपने राजनैतिक दल को अपने खिलाफ आपराधिक मामलों के बारे में सूचित कर दिया है। ऐसी घोषणा के लिए प्रावधान प्ररूप-26 में नई जोड़ी गई मद (6क) में किया गया है।

4. आपराधिक मामलों, चाहे वे लंबित हों या पूर्व में दोषसिद्ध हो गए हों, से जुड़े अभ्यर्थियों को खड़े करने वाले मान्यताप्राप्त और पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के लिए यह अपेक्षित है कि वे इस संबंध में अपनी वेबसाइट के साथ-साथ टीवी चैनलों में तथा संबंधित राज्य में व्यापक सर्कुलेशन वाले समाचार पत्रों में विवरण देते हुए घोषणा प्रकाशित/प्रसारित करें। राजनैतिक दलों द्वारा यह घोषणा इसके साथ संलग्न **फॉर्मेट सी-2** में प्रकाशित की जानी चाहिए। उपर्युक्त पैरा 3(क) में उल्लिखित अवधि के दौरान समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में इस घोषणा को कम से कम तीन अलग-अलग तारीखों को प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है। टीवी चैनलों के मामलों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रकाशन/प्रसारण निर्वाचन के लिए मतदान सम्पन्न होने के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के पहले पूरा कर लिया जाए। ऐसे सभी राजनैतिक दल संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक


रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि उन्होंने इन दिशा-निर्देशों की अपेक्षाएं पूरी कर ली हैं और इसके साथ संबद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में दल द्वारा प्रकाशित की गई घोषणा-पत्रों वाली पेपर कटिंग संलग्न हैं। यह निर्वाचन के संपन्न होने के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। इसके बाद, अगले 15 दिनों के अंदर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी संबंधित दलों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तथा चूककर्त्ताओं के मामलों को इंगित करते हुए, यदि कोई हों, आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

5. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी आवास, यदि कोई हो, जो अभ्यर्थियों को आबंटित किया गया है, के विरुद्ध देयताओं के संबंध में अतिरिक्त शपथ-पत्र के लिए प्रावधान सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों तथा सरकारी देयताओं से संबंधित मद(8) के अंतर्गत प्ररूप-26 में अब शामिल कर दिया गया है। इसलिए अभ्यर्थी फार्म-26 की मद (8) में इस संबंध में अपेक्षित घोषणा/विवरण देंगे। तदनुसार, अब अभ्यर्थियों को आयोग के दिनांक 3 फरवरी, 2016 के आदेश सं.509/11/2004-जेएस-1 के अधीन निर्धारित अतिरिक्त शपथ-पत्र दाखिल करना अपेक्षित नहीं है क्योंकि ये प्रावधान अब प्ररूप-26 के ही भाग हैं।

6. इस पत्र को राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों को, उनकी ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए वितरित किया जाए। इस पत्र को राज्य में आधारित सभी राजनैतिक दलों अर्थात् मान्यताप्राप्त दलों की राज्य इकाइयों तथा अन्य राज्यों के मान्यताप्राप्त दलों तथा अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित मुख्यालयों वाले सभी पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों को उपर्युक्त निर्देशों तथा प्ररूप-26 में संशोधन के अनुदेशों को नोट करने के लिए परिचालित किया जाए।

7. कृपया पावती दें तथा की गई कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,



(के.एफ. विल्फ्रेड)

वरिष्ठ प्रधान सचिव

**फार्मेट सी-1**

(अभ्यर्थियों के लिए समाचार-पत्रों, टी.वी. में प्रकाशन हेतु )

**आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा**

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 (पब्लिक इंटेरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितम्बर, 2018 के निर्णय के अनुसार)

अभ्यर्थी का नाम एवं पता: \_\_\_\_\_

राजनैतिक दल का नाम: \_\_\_\_\_

(निर्दलीय अभ्यर्थी यहां "निर्दलीय" लिखें)

निर्वाचन का नाम: \_\_\_\_\_

\*निर्वाचन क्षेत्र का नाम: \_\_\_\_\_

मैं \_\_\_\_\_ (अभ्यर्थी का नाम), उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता/करती हूं:

क्रम सं.	लंबित आपराधिक मामले			आपराधिक मामलों के लिए दोषसिद्धि के मामलों के संबंध में विवरण	
	न्यायालय का नाम	मामले की सं. एवं मामले की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धारा(एं) एवं अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण	न्यायालय का नाम एवं आदेश(शों) की तारीख	अपराध (अपराधों) और अधिरोपित दण्ड का विवरण

\*राज्य सभा के निर्वाचन या विधान सभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद् के निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

टिप्पणी: (i) अलग-अलग पंक्तियों में प्रत्येक मामले के लिए अलग-अलग विवरण दें।

(ii) समाचार-पत्रों में विषयवस्तु कम से कम 12 के फोन्ट आकार में प्रकाशित की जानी चाहिए।

**फार्मेट सी-2**

(राजनीतिक दलों के लिए वेबसाइट, समाचार-पत्रों/टी वी में प्रकाशन हेतु)

दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में घोषणा

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 (पब्लिक इंटरैस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितम्बर, 2018 के निर्णय के अनुसार)

राजनैतिक दल का नाम: \_\_\_\_\_

\*निर्वाचन का नाम: \_\_\_\_\_

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम: \_\_\_\_\_

1.	2.	3.	4.	5.
क्रम सं.	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	लंबित आपराधिक मामले	आपराधिक मामलों के लिए दोषसिद्धि के विषय के संबंध में विवरण
			न्यायालय का नाम, मामले की सं. एवं मामलों की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धाराएं और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण
			न्यायालय का नाम एवं आदेश(शों) की तारीख	अपराध(धों) और अधिरोपित किए गए दण्ड का विवरण

\*राज्य सभा के निर्वाचन और विधान सभा सदस्यों द्वारा, विधान परिषद् के निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

टिप्पणी :- (i) उपर्युक्त सूचना प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिए राज्य-वार प्रकाशित की जाएगी।

(ii) समाचार-पत्रों में विषयवस्तु कम से कम 12 के फोन्ट आकार में प्रकाशित की जानी चाहिए।

## रिटनिंग अधिकारी का कार्यालय

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : .....

राज्य का नाम : .....

निर्वाचन का नाम : .....

यह सूचित किया जाता है कि रिट याचिका (सिविल) 2011 की सं. 536 (पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर, 2018 के निर्णय एवं आयोग के दिनांक 10.10.2018 के पत्र सं. 3/ईआर/2018/एसडीआर में दिए गए निदेशों के अनुसार, आपराधिक मामले - चाहे लंबित मामले या पूर्व में दोषसिद्धि के मामले वाले सभी अभ्यर्थियों से, अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तारीख के बाद और मतदान की तारीख से दो दिन पहले के दौरान, तीन अवसरों पर समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में ऐसे आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा प्रकाशित करने की अपेक्षा की जाती है। टीवी चैनलों में प्रकाशन की घोषणा मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के 48 घंटे की अवधि से पहले पूरी हो जानी चाहिए।

चूंकि आप, उपर्युक्त निर्वाचन के लिए नामित अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/सुश्री.....(अभ्यर्थी के नाम का उल्लेख करें) ने प्ररूप-26 की मद सं. 5/6में आपराधिक मामले के बारे में सूचना की घोषणा की है, अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से वितरित होने वाले समाचार पत्रों में एवं टीवी चैनलों में इस जानकारी को प्रत्येक में कम से कम तीन अवसरों पर प्रकाशित करें। जानकारी प्रकाशित करने के लिए फार्मेट इसके साथ संलग्न है। यह भी सूचित किया जाता है कि आपराधिक मामले के बारे में सूचना प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों की प्रतियां, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अधीन निर्वाचन व्यवस्था के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

तारीख :

हस्ताक्षर.....

रिटनिंग अधिकारी/सहायक रिटनिंग अधिकारी का नाम.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर .....

टिप्पणी : इसकी एक प्रति अभ्यर्थी को दी जानी चाहिए और एक प्रति रिटनिंग अधिकारी के पास रखी जानी चाहिए।

प्ररूप 26  
(नियम 4क देखिए)

कृपया यहाँ  
पासपोर्ट साइज  
का अपना  
नवीनतम फोटो  
चस्पा करें

..... निर्वाचन-क्षेत्र से  
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)  
.....(सदन का नाम) के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष  
अभ्यर्थी द्वारा नाम-निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

मैं,.....\*\*पुत्र/पुत्री/पत्नी.....आयु.....वर्ष, जो.....(डाक का पूरा पता लिखें)  
का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ,  
शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

- (1) मैं.....(\*\*राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/\*\*एक  
स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।  
(\*\*जो लागू न हो उसे काट दें)
- (2) मेरा नाम.....(निर्वाचन-क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं.....के  
क्रम सं.....पर प्रविष्ट है।
- (3) मेरा/मेरे.....संपर्क दूरभाषा संख्या/संख्याएं है/हैं और.....मेरा ईमेल पता  
(यदि कोई हो) है तथा मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) निम्नलिखित है/हैं।  
(i).....  
(ii).....  
(iii).....

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति:

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं			
2.	पति या पत्नी			
3.	आश्रित - 1			
4.	आश्रित - 2			
5.	आश्रित - 3			

(5) लंबित आपराधिक मामले

- (i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।  
(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने 'लागू नहीं' होता है लिखें)

या

- (ii) मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लंबित हैं:  
(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं तो इस विकल्प चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे की सारणी में सभी लंबित मामलों का ब्यौरे दें)

सारणी

(क)	संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं.			
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं.			
(ग)	अंतर्वलित संबद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)			
(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण			
(ङ)	क्या आरोप विरचित किए गए हैं (हां या नहीं का उल्लेख करें)			
(च)	यदि उपर्युक्त मद (ङ) के सामने उत्तर हां है, तो वह तारीख दे, जिसको आरोप विरचित किए गए थे			
(छ)	क्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाईल किया गया है (हां या नहीं का उल्लेख करें)			

(6) दोषसिद्धि के मामले,-

- (i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध नहीं किया गया है।  
(यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है लिखें)

या

(ii) मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिए सिद्धदोष किया गया है:

(यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें, और नीचे दी गई सारणी में ब्यौरे दें)

### सारणी

(क)	मामला संख्यांक			
(ख)	न्यायालय का नाम			
(ग)	अंतर्वलित अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दे, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)			
(घ)	अपराधों का संक्षिप्त विवरण, जिनके लिए दोषसिद्ध किया गया है			
(ङ)	दोषसिद्धि के आदेशों की तारीखें			
(च)	अधिरोपित दंड			
(छ)	क्या दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल की गई है (हां या नहीं का उल्लेख करें)			
(ज)	यदि उपरोक्त मद (छ) का उत्तर हां है, तो अपील के ब्यौरे तथा वर्तमान प्रास्थिति दें			

(6क) मैंने, ऊपर पैरा (5) और (6) में दिए गए अनुसार मेरे विरुद्ध सभी लंबित आपराधिक मामलों की और दोषसिद्धि के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दे दी है।

[ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5(i) और पैरा 6(i) में की प्रविष्टियों को देखते हुए, स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है, लिखना चाहिए]

टिप्पण:

1. ब्यौरे स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य रूप से बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किये जाने चाहिए।
2. प्रत्येक मद के मामले विभिन्न स्तंभों के अधीन प्रत्येक मामले के लिए ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाए।
3. ब्यौरे विलोम कालानुक्रम में दिए जाने चाहिए, अर्थात् नवीनतम मामलो को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।

4. यदि अपेक्षित हो तो पृथक शीट जोड़ी जा सकती हैं।  
5. अभ्यर्थी 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सूचनाएं देने का उत्तरदायी होगा।”।

(7) यह कि मैं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - “आश्रित” से अभ्यर्थी के माता-पिता, पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी और अभ्यर्थी से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह रक्त द्वारा हो या विवाह द्वारा, अभिप्रेत है(हैं), जिसके आय के पृथक साधन नहीं हैं और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित हैं।”;

टिप्पण 5 - प्रत्येक विनिधान के संबंध में रकम सहित ब्यौरे अलग-अलग रूप में दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी					
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम					
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम					
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम					

(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम					
(vi)	मोटर वाहन/वायुयान/याच/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)					
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)					
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य					
(ix)	सकल कुल मूल्य					

#### ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेन्ट का इस संरूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)					
	सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)					
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					

(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में मिली हुई संपत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) -अवस्थिति (अवस्थितियां) -सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में मिली हुई संपत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) -अवस्थिति (अवस्थितियां) -सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					

	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में मिली हुई संपत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)					
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य					

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देयताओं/देय राशि के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष रकम के ब्यौरों का अलग-अलग विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या देय राशि बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति					
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या देय राशि नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति					
	कोई अन्य देयता					
	देयताओं का सकल योग					

(ii)	सरकारी शोधयः सरकारी आवास से संबंधित विभागों को शोधय	<p>क. क्या अभिसाक्षी वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले दस वर्ष के दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास के अधिभोग में हैं ?</p> <p>ख. यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां है तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें, अर्थात् :-</p> <p>(i) सरकारी आवास का पता: ..... ..... .....</p> <p>(ii) उपरोक्त सरकारी आवास के संबंध में, निम्नलिखित के मद्दे कोई शोधय संदेय नहीं है-</p> <p>(क) भाटक; (ख) विद्युत प्रभार; (ग) जल प्रभार; और (घ) .....(तारीख) को टेलीफोन प्रभार</p> <p>[तारीख उस मास से, जिसमें निर्वाचन अधिसूचित किया जाता है, पूर्व तीसरे मास की अंतिम तारीख या उसके पश्चात् की कोई तारीख होनी चाहिए]</p> <p>टिप्पण- उपरोक्त सरकारी आवास के लिए भाटक, विद्युत प्रभार, जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार की बाबत संबंधित अभिकरणों का "बेबाकी प्रमाणपत्र" प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</p>			हां/नहीं (कृपया उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाएं)							
(iii)	सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को शोधय (जिसके अंतर्गत वायुयान और हेलीकॉप्टर भी हैं)											
(iv)	आयकर शोधय											
		स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3						
(v)	जीएसटी शोधय											
(vi)	नगरपालिका/संपत्ति पर शोधय											
(vii)	कोई अन्य शोधय											

(viii)	सभी सरकारी शोध का कुल योग					
(ix)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त हैं, यदि ऐसा है तो उसमें अंतर्वलित रकम का और प्राधिकारी का, जिसके समक्ष यह लंबित है, उल्लेख करें।”;					

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं .....

(ख) पति या पत्नी .....

(9क) आय के स्रोतों के ब्यौरो--

(क) स्वयं .....

(ख) पति या पत्नी .....

(ग) आश्रितों के आय के स्रोत, यदि कोई हों.....

(9ख) समुचित सरकार और किसी पब्लिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाए-

(क) अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे.....

(ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे.....

(ग) आश्रितों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे.....

(घ) हिंदू अविभक्त कुटुम्ब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबद्ध हैं, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे.....

(ङ) भागीदारी फर्मों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार हैं.....

(च) प्राइवेट कम्पनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों हिस्सा हैं.....।”।

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है:-

.....  
 (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)।

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का सारांश

1.	अभ्यर्थी का नाम		श्री/श्रीमती/कु.			
2.	डाक का पूरा पता					
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य					
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'निर्दलीय' लिखें)					
5.	लंबित आपराधिक मामलों की कुल संख्या					
6.	ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें दोषसिद्ध ठहराया गया है"।					
7.		स्थायी लेखा सं. (पैन)	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी					
	(ख) पति या पत्नी					
	(ग) आश्रित					
8.	आस्तियों और देयताओं के ब्यौरे (रुपए में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)					
ख.	स्थावर आस्तियां					
	i.	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत				
	ii.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)				

	III.	निम्नलिखित का अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य-  (क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)  (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)					
9.		देयताएं					
	(i)	सरकारी देय राशि (कुल)					
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)					
10.		ऐसी देयताएं जो विवादाधीन हैं					
	(i)	सरकारी देय राशि (कुल)					
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)					
11.		उच्चतम शैक्षणिक अर्हता : (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					

### सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है:

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या देयता से भिन्न कोई आस्ति या देयता नहीं है।

आज तारीख..... को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

---

टिप्पण : 1. शपथपत्र नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन अपराह्न 3:00 बजे तक दाखिल कर दिया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में उपलब्ध कराने के लिए कोई सूचना नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4. शपथपत्र या तो टंकित या सुपाठ्य रूप से साफ-साफ लिखा होना चाहिए।



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4010] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 10, 2018/आश्विन 18, 1940  
No. 4010] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 10, 2018/ASVINA 18, 1940

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2018

**का.आ. 5196(अ).**—केंद्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 के साथ पठित धारा 77 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2018 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 90 में, क्रम सं. 28 और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

1.	2.	3.	4.
"29.	तेलंगाना	70,00,000	28,00,000।"।

- मूल नियमों के प्ररूप 26 में,--

(अ) भाग - क में,--

- (1) पैरा (5) और पैरा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात् :--

“(5) लंबित आपराधिक मामले,--

(i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है लिखें)

या

(ii) मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लंबित हैं :

(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे की सारणी में सभी लंबित मामलों के ब्यौरे दें)

## सारणी

(क)	संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं.			
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं.			
(ग)	अंतर्वलित संबद्ध अधिनियमों/मंहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दें, अर्थात् भारतीय दंड मंहिता, आदि की धारा .....)			
(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण			
(ङ)	क्या आरोप विरचित किए गए हैं (हां या नहीं का उल्लेख करें)			
(च)	यदि उपरोक्त मद (ङ) के सामने उत्तर हां है, तो वह तारीख दें, जिसको आरोप विरचित किए गए थे			
(छ)	क्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाइल किया गया है (हां या नहीं का उल्लेख करें)			

(6) दोषसिद्धि के मामले,—

(i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्धि नहीं किया गया है।  
(यदि अभ्यर्थी दोषसिद्धि नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है लिखें)

या

(ii) मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिए दोषसिद्धि किया गया है :

(यदि अभ्यर्थी दोषसिद्धि किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे दी गई सारणी में ब्यौरे दें)

## सारणी

(क)	मामला संख्यांक			
(ख)	न्यायालय का नाम			
(ग)	अंतर्वलित अधिनियमों/ मंहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दें, अर्थात् भारतीय दंड मंहिता, आदि की धारा .....)			
(घ)	अपराधों का संक्षिप्त विवरण, जिनके लिए दोषसिद्धि किया गया है			

(ड)	दोषमिद्धि के आदेशों की तारीखें			
(च)	अधिराजित दंड			
(छ)	क्या दोषमिद्धि के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई है (हां या नहीं का उल्लेख करें)			
(ज)	यदि उपरोक्त मद (छ) का उत्तर हां है, तो अपील के ब्यौरे तथा वर्तमान प्राम्थिति दें			

(6क) मैंने, ऊपर पैरा (5) और पैरा (6) में दिए गए अनुसार मेरे विरुद्ध सभी लंबित आपराधिक मामलों की और दोषमिद्धि के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दे दी है।

एंग्रेसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5(i) और पैरा 6(i) में की प्रविष्टियों को देखते हुए, स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है, लिखना चाहिए।

#### टिप्पण :

1. ब्यौरे स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य रूप से बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किए जाने चाहिए।
2. प्रत्येक मद के सामने विभिन्न स्तंभों के अधीन प्रत्येक मामले के लिए ब्यौरे पृथक् रूप से दिए जाएं।
3. ब्यौरे विनोम कालानुक्रम में दिए जाने चाहिए, अर्थात् नवीनतम मामले को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।
4. यदि अपेक्षित हो तो पृथक् शीट जोड़ी जा सकती है।
5. अभ्यर्थी 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सूचना देने का उत्तरदायी होगा।

(II) क. "जंगम आस्तियों के ब्यौरों" शीर्ष के अधीन, पैरा (7) में "टिप्पण 4" के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात्:--

**"टिप्पण 4:** "आश्रित" से अभ्यर्थी के माता-पिता, पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी और अभ्यर्थी से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह रक्त द्वारा हो या विवाह द्वारा, अभिप्रेत है(हैं), जिसके आय के पृथक् माधन नहीं हैं और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित हैं।"

(III) पैरा (8) की सारणी में, क्रम सं. (ii) से क्रम सं. (iv) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:--

#### "सारणी

"(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवाम से संबंधित विभागों को शोध्य	(क) क्या अभिमाक्षी वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले दस वर्ष के दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवाम के अधिभोग में है ? (ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां है तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें, अर्थात्:-- (i) सरकारी आवाम का पता ..... ..... ..... (ii) उपरोक्त सरकारी आवाम के संबंध में निम्नलिखित के मद्दे कोई शोध्य संदेय नहीं है— (क) भाटक :
-------	---	---

		(ख) विद्युत प्रभार ; (ग) जल प्रभार ; और (घ) ..... (तारीख) को टेलीफोन प्रभार [तारीख उस माम से, जिसमें निर्वाचन अधिमूचित किया जाता है, पूर्व तीसरे माम की अंतिम तारीख या उसके पश्चात् की कोई तारीख होनी चाहिए] <b>टिप्पण :</b> उपरोक्त सरकारी आवाम के लिए भाटक, विद्युत प्रभार, जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार की वास्तव संबंधित अभिकरणों का "बेबाकी प्रमाणपत्र" प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।				
(iii)	सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को शोध्य  (जिसके अंतर्गत वायुयान और हैलीकाप्टर भी हैं)					
(iv)	आय-कर शोध्य					
		स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(v)	जीएसटी शोध्य					
(vi)	नगरपालिका/ संपत्ति कर शोध्य					
(vii)	कोई अन्य शोध्य					
(viii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग					
(ix)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त हैं, यदि ऐसा है तो उसमें अंतर्वलित रकम का और प्राधिकारी का, जिसके समक्ष यह लंबित हैं, उल्लेख करें।";					

(iv) पैरा (9) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(9क) आय के स्रोतों के ब्यौरे--

(क) स्वयं .....

(ख) पति या पत्नी .....

(ग) आश्रितों के आय के स्रोत, यदि कोई हों .....

(9ख) समूचित सरकार और किसी पब्लिक कंपनी या कंपनियों के साथ संविदाएं—

(क) अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे .....

(ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे .....

- (ग) आश्रितों द्वारा की गई मंविदाओं के व्यौरे .....
- (घ) हिन्दू अविभक्त कुटुंब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबद्ध हैं, द्वारा की गई मंविदाओं के व्यौरे .....
- (ङ) भागीदारी फर्मों द्वारा की गई मंविदाओं के व्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार हैं .....
- (च) प्राइवेट कंपनियों द्वारा की गई मंविदाओं के व्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों का हिस्सा है .....
- (आ) भाग-ख के पैरा 11 में क्रम संख्या 5 और क्रम संख्या 6 के सामने स्तंभ (2) के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"5.	लंबित अपराधिक मामलों की कुल संख्या	
6.	ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें दोषमिद्ध ठहराया गया है।"	

[फा. सं. एच.11019(4)/2018-वि.2]

डॉ. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र में का.आ. सं. 859, तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन का.आ.संख्यांक 1133(अ), तारीख 7 अप्रैल, 2017 द्वारा किए गए थे।

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**

(Legislative Department)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th October, 2018

**S.O. 5196(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 77 read with section 169 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Elections Rules, 1961, namely:—

- (1) These rules may be called the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Conduct of Elections Rules, 1961 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 90, after serial number 28 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

1.	2.	3.	4.
"29.	Telangana	70,00,000	28,00,000."

- In Form 26 of the principal rules,—

(A) in PART A—

(D) for paragraphs (5) and (6), the following paragraphs shall be substituted, namely:—

“(5) Pending criminal cases.—

(i) I declare that there is no pending criminal case against me.